न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 47 / 2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 300

1. महेन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एएस तहसील अनूपगढ़

–अपीलार्थी

बनाम

1. हरबंस सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एएस तहसील अनूपगढ़
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री इन्द्राज कस्बां, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री रविन्द्र बलाना, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1
3. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी सं. 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 31.07.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. अपील प्रकरण(प्र.सं. 45 / 18) पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्र.सं. 76 / 2017 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2017 जिसके द्वारा चक 20 एएस के मु.नं. 54 प.नं. 244 / 468 के कि.नं. 1, 4ता7, 10, 11 / 1, 14 ता 17, 24,25 की कुल 3.113है. कमाण्ड भूमि का वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने के आरदेश पारित किये गये हैं के विरूद्ध यह अपील मय प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 सीपीसी के प्रस्तुत की गयी हैं।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी की अपील एवं प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गयी।
3. अपीलार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट के भाई लहणा सिंह पुत्र किशन सिंह के नाम से रिकार्ड में दर्ज थी लहणा सिंह लाऔलाद फौत हुआ हैं। लहणा सिंह के भाई महेन्द्रसिंह, बन्तासिंह, करतार सिंह व गुरदेव व बहिन गुरमेल कौर व मलकीत कौर थी जिसमें से करतार सिंह व गुरदेव सिंह व बहिनों की भी मृत्यु हो चुकी हैं। गुरदेव सिंह लाऔलाद फौत हुआ। इस प्रकार लहणा सिंह के भाई बहन होने के नाते द्वितीय श्रेणी के वारिस थे और भी में अपीलांट का विरास्तन 1 / 5 हिस्सा निहित हैं जो कि अपीलांट के संयुक्त रूप से अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही हैं। रेस्पों. सं. 1 द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 18.04.2004 के आधार पर तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष्ज्ञ आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये दिनांक 22.12.2017 को आदेश पारित कर दिया और प्रत्यर्थी द्वारा वसीयत के आधार पर अपीलाधीन कृषि भूमि का इन्तकाल सं. 642 दिनांक 22.01.2018 को अपने नाम करवा लिया। अलौच्य आदेश विधिविरूद्ध हैं। तथाकथित वसीयत दिनांक 18.04.2004 रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में निष्पादित नहीं की गयी है बल्कि रेस्पो. सं. 1 ने फर्जी व कूटरचित वसीयत तैयार की हैं। वसीयत किसी स्टाम्प नहीं होकर सादे कागज पर टाईप हैं। वसीयत पंजीकृत नहीं हैं ना ही नोटेरी से सत्यापित करवाई गयी हैं। सिविल न्यायालय में प्रत्यर्थी द्वारा ईकरारनामा बाबत प्रस्तुत वाद पत्र में स्वयं ने लहणा सिंह के द्वितीय श्रेणी के वारिस के रूप में अपीलार्थी व अन्य को वारिस को स्वीकार किया गया हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की सत्यता की जांच भी नहीं की गयी। मृतक के सभी वारिसान को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया ना ही नोटिस जारी किया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत होने के कारण खारिज योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी पक्षकार नहीं थे तथा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया हैं इस कारण प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी, धारा 5 मियाद अधि. व आ. 41 नि. 27 सीपीसी स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने व प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया तथा अपील स्वीकार कर अलौच्य आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि लहणा सिंह की आवंटनशुदा स्वअर्जित सम्पत्ति थी जिसकी वसीयत करने के पूर्ण अधिकारी हैं। वसीयत का स्टाम्प पर होना या पंजीबद्ध होना आवश्यक नहीं हैं। अपीलार्थी का भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा हैं। प्रत्यर्थी ही भूमि पर काबिज हैं। यदि अपीलार्थी वसीयत को फर्जी बता रहे हैं तो उन्हें सिविल न्यायालय में वसीयत निरस्त करवाने हेतु चाराजोही करनी चाहिए लेकिन उनके द्वारा नहीं की गयी। उनके पास लहणा सिंह के वारिस होने का कोई साक्ष्य नहीं हैं, ना ही वारिस प्रमाण पत्र हैं ना ही किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री हैं। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गयी थी जिसमें दोष प्रमाणित होने के कारण पुलिस थाना एफआर लगा दी गयी थी, अपीलार्थी द्वारा उक्त तथ्य को न्यायालय से छिपाया गया हैं। नामान्तरण अपील में वसीयत की सत्यता एवं वैधानिकता की जांच नहीं की जा सकती हैं यह मा. सिविल न्यायायल के क्षेत्राधिकार में हैं। अपील देरीना पेश की हैं। अपीलार्थी का भूमि में कोई हिस्सा निहित नहीं हैं जिस कारण अपीलार्थी अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं हैं। अपील सारहीन हैं। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायलाय की पत्रावली का परिशीलन किया। आलौच्य आदेश दिनांक 22.12.2017 को हैं तथा अपील न्यायालय में दिनांक 11.06.2018 को प्रस्तुत की गयी हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने हेतु आवेदन करने पत्र पत्रावली कायम करते हुए सार्वजनिक सूचना आपत्ति नोटिस दिनांक 07.09.2017 को जारी किया तथा हाईलाईन नाम समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया जिस पर निश्चित समयावधि में कोई आवेदन पेश नहीं होने पर उक्त कार्यवाही के आधार पर वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध वसीयत की छायाप्रति का अवलोकन करने पर पाया कि वसीयत सादे कागज पर टाईपशुदा हैं तथा वसीयत पर अंगूठा निशानी अंकित हैं पर अंगूठ किसका हैं यह अंकित नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल सार्वजनिक सूचना जारी कर समाचार पत्र में प्रकाशित करवा एवं पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर आदेश पारित किया गया हैं, अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे वसीयतकर्ता के वारिसान के संबधं में जांच करते, चूंकि प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा यह स्वीकार किया गया हैं कि वसीयतकर्ता के प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं हैं। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रति वाद पत्र हरबंस सिंह आदि बनाम महेन्द्रसिंह आदि मा. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी हरबंस सिंह के द्वारा मा. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीन अनूपगढ के समक्ष ईकरारनामा दिनांक 22.08.1997 की विनिर्दिष्ट अनुपालना बाबत पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा अपीलार्थी को लहणा सिंह का द्वितीय श्रेणी का वारिस माना हैं। हरबंस सिंह का वाद पत्र दिनांक 02.01.2018 को नोट प्रेस किया गया हैं और आलौच्य आदेश के आधार पर नामान्तरण दिनांक 22.01.18 को स्वीकृत हुआ हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसान के संबंध में जांच नहीं की गयी हैं। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय को सार्वजनिक सूचना को अपीलाधीन भूमि के नजदीक सार्वजनिक स्थान एवं गांव के सार्वजनिक स्थानों आदि पर चस्पा करवाना चाहिए था जिस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, इसके साथ ही लोकप्रचलित समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया जाना चाहिए था। जबकि प्रकरण में इसका अभाव पाया गया हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

6. चूंकि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं तथा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी, धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण ही जाती हैं तथा प्रा. पत्र अन्तर्गत आ. 41 नि. 27 स्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा अपील पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाता हैं। पैरा सं. 5 में किये गये विवेचन के आधार पर न्यायालय की राय प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनर्विचार के लौटाया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं समीचीन हैं।
7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर तहसीलदार अनूपगढ़ का अपीलाधीन आलौच्य आदेश दिनांक 22.12.2017 एवं इसके आधार पर दर्ज नामान्तरण सं. 642 स्वीकृत दिनांक 22.01.2018 को निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण तहसीलदार अनूपगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि उभयपक्ष एवं वसीयतकर्ता के अन्य वारिसान को नोटिस जारी कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)